-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा जनपद के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ की गई अपराध समीक्षा बैठक। अपराधों की रोकथाम व शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।**
- **प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों, अवैध शस्त्रों का निर्माण व संग्रहण करने वालों, टॉप-टेन, इनामिया व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश।**
- **प्राकतिक आपदाओं से हो रही दुर्घटनाओं से आमजन को सतर्क करने के लिए समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।**

विवरण- शासन की जीरो टॉलरेन्स की नीति के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने तथा जनपद में शातिं एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा आज दिनांक 18.07.2025 को जनपद के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए-

1. प्रभावी प्रिवेन्टिव कार्यवाही- उन्होने संगठित अपराधों तथा गिरोहबन्द अपराधों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश देते हुए आदेशित किया कि ऐसे अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट के तहत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए साथ ही लगातार अपराधों में शामिल अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए तथा जिला बदर की कार्यवाही की जाए।

2. ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरों का इंस्टालेशन- ऑपरेशन त्रिनेत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए, उन्होने कहा की सीसीटीवी कैमरों की कई घटनाओं के अनावरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करे कि मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पम्प, शराब की दुकानों, सर्राफा दुकानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे, इसके लिए सभी संबंधित लोगों एवं संस्थानों से वार्ता कर उन्हे अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करें। थाना क्षेत्र में एंट्री और एक्जिट प्वाइंटों पर अनिवार्य रुप से सीसीटीवी कैमरे इंस्टाल कराने के निर्देश दिए।

3. चोरी, नकबजनी, टप्पेबाजी जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण- समीक्षा बैठक में चोरी, नकबजनी तथा टप्पेबाजी जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु नियमित पैदल गस्त, वाहन चेकिंग बैंक चेकिंग के निर्देश दिए गए। उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में 02 रात्रि मोबाइल पार्टी निरन्तर भ्रमणशील रहें साथ ही सूनसान स्थानों पर पीआरवी वाहनों का स्टॉप प्वाइंट बनाया जाए।

4. कम्यूनिटी पुलिसिंग पर बल- सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए उन्होने निर्देशित किया कि थाना क्षेत्र के सभी सम्प्रदाय के सम्भ्रान्त एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ पुलिस का बेहतर समन्वय होना चाहिए जिससे

पुलिस को शांति एवं कानून व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहले सूचना मिल जाती है और उसका बेहतर प्रबन्धन किया जा सकता है। उन्होने निर्देशित किया कि कोई भी जुलूस, आयोजन या समारोह के संबंध में आयोजकों से पूर्व में ही वार्ता करके आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए जाने चाहिए।

5. विवेचनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण- लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा के क्रम में उन्होने निर्देशित किया कि लम्बित विवेचनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, सभी क्षेत्राधिकारी अपने-अपने सर्किल के विवेचकों का नियमित रुप से अर्दली रुम कर यह सुनिश्चित करें कि विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण हो।

6. प्रभावी जनसुनवाई एवं शिकायतों का प्रभावी निस्तारण- समीक्षा बैठक में उन्होने सभी क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को प्रभावी जनसुनवाई के निर्देश दिए और कहा कि शिकायतों का निस्तारण भौतिक होना चाहिए तथा शिकायतकतर्ता की संतुष्टि ही निस्तारण का आधार हो। थाने पर आने वाले लोगों से पुलिस का व्यवहार विनम्र हो तथा किसी से भी किसी प्रकार की अभद्रता क्षम्य नहीं होगी।

7. बीट पुलिस प्रणाली पर बल- समीक्षा बैठक में उन्होने कहा की बीट प्रणाली पुलिस व्यवस्था की रीढ़ है, सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि बीट प्रणाली का बेहतर ढ़ंग से क्रियान्वयन हो। मानक के अनुरुप महिला बीट आरक्षियों को भी नियुक्त किया जाए। सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नियमित रुप से बीट बुक को चेक किया जाए तथा उस पर नोट अंकित किया जाए। उन्होने कहा कि वे स्वयं प्रत्येक दिन हर थाने से एक बीट आरक्षी की बीट बुक को चेक करेंगे।

8. प्राकतिक आपदाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश- वर्तमान समय में लगातार हो रही भारी वर्षा, जलभराव, बाढ़, पेड़ गिरने, मकान ढहने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। इन आपदाओं के कारण आमजन के जीवन, संपत्ति व यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए जनहानि और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने, तथा लोगों को समय रहते सतर्क एवं सुरक्षित करने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

समीक्षा बैठक के अन्त में उन्होने कहा कि किसी भी पुलिस कर्मी कार्य सरकार से संबंधित या कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो तो पुलिसकर्मी उनसे व्यक्तिगत रुप से मिल सकते हैं तथा किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों की समस्यायों का हर संभव निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।